



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 08.04.2026

पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 08.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

थाना भीरा पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त कैलाश पुत्र स्व0प्रभु को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष भीरा के नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2026 को थाना भीरा पुलिस द्वारा, मु0सं0 873/12 अ0स0 1203/11 धारा 323/324/325 आईपीसी में वारण्टी अभियुक्त कैलाश पुत्र स्व0प्रभु निवासी नौरंगाबाद थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कैलाश पुत्र स्व0प्रभु निवासी नौरंगाबाद थाना भीरा जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 अनिल कुमार यादव थाना भीरा जनपद खीरी
- 2.हे0का0 त्र्यम्बक दत्त गौड़ थाना भीरा जनपद खीरी

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत, गुमशुदा नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया गया ।



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी धौरहरा के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष ईसानगर के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 08.4.2026 को थाना ईसानगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-124/2026धारा -137(2)/87बीएनएस की गुमशुदा/ पीड़िता शिवानी पुत्र दीपू राजपूत नि0 गुरुदीनपुरवा थाना ईसानगर खीरीउम्र करीब 14 वर्ष को सकुशल बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गुमशुदा/पीड़िता नाम व पता

शिवानी पुत्र दीपू राजपूत नि0 गुरुदीनपुरवा थाना ईसानगर खीरीउम्र करीब 14 वर्ष

बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी ।
- 2.का0 भूपेन्द्र सिंहथाना ईसानगर जनपद खीरी ।
- 3.म0आ0 रक्षा यादवथाना ईसानगर जनपद खीरी ।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना सिंगाही पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 08.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना सिंगाही पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना सिंगाही पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 08.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना सिंगाही पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 08.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

थाना मितौली पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त हनुमान बाजपेयी उर्फ शिवेन्द्र बाजपेयी को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा10 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मितौली के नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2026 को थाना मितौली पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 140/2026 धारा 109/324(3) में वांछित अभियुक्त हनुमान बाजपेयी उर्फ शिवेन्द्र बाजपेयी पुत्र शिवसागर लाल बाजपेयी निवासी कस्बा मितौली थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हनुमान बाजपेयी उर्फ शिवेन्द्र बाजपेयी पुत्र शिवसागर लाल बाजपेयी निवासी कस्बा मितौली थाना मितौली जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना मितौली जनपद खीरी
- 2.हे0का0 होरीलाल थाना मितौली जनपद खीरी

थाना मितौली पुलिस द्वारा, विभिन्न चोरी की घटनाओं में वांछित 03 नफर अभियुक्तों को चोरी के माल व अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा10 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मितौली के नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2026 को थाना मितौली पुलिस द्वारा, कस्बा मितौली व चौकी क्षेत्र कस्ता थाना मितौली जनपद खीरी में चोरी की घटना से संबंधित मु0अ0सं0- 05/26 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 51/26 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 54/26 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण 1. रामलखन पुत्र चेताराम निवासी ढखिया जाट थाना मितौली जनपद खीरी 2. हेमराज पुत्र महावीर पासी निवासी कानाखेड़ा थाना मितौली जनपद खीरी 3. भाऊ उर्फ रामासरे निवासी ढकिया जाट थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर चोरी किया गया माल 01 अदद गैस सिलेन्डर व चोरी से प्राप्त नगद रूपये 9800 बरामद किया गया तथा अभियुक्त रामलखन के पास से एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर व एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा अभियुक्त हेमराज से एक अदद तमंचा 12 बोर व अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व अभियुक्त भाऊ उर्फ रामासरे के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.रामलखन पुत्र चेताराम निवासी ढखिया जाट थाना मितौली जनपद खीरी ।
- 2.हेमराज पुत्र महावीर पासी निवासी कानाखेड़ा थाना मितौली जनपद खीरी ।
- 3.भाऊ उर्फ रामासरे निवासी ढकिया जाट थाना मितौली जनपद लखीमपुर खीरी ।

बरामदगी:-

01 अदद गैस सिलेन्डर व चोरी से प्राप्त नगद रूपये 9800 बरामद, एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर व एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, एक अदद तमंचा 12 बोर व अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व अभियुक्त भाऊ उर्फ रामासरे के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह 2.उ0नि0 जयकृष्ण तिवारी 3.हे0का0 करुणेश वर्मा 4.हे0का0 राजेश मिश्रा 5.हे0का0 संतराम 6.हे0का0 होरीलाल 7.का0 दीपक कुमार 8.का0 सुगम कुमार 9.का0 तरुण कुमार 10.का0 अंकित हुड्डा 11.का0 चमन कुमार

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में 02 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मैलानी के नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2026 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 42/2026 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस व 5(L)/6,3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त 1.नसरुद्दीन पुत्र हारून निवासी ग्राम संसारपुर थाना मैलानी जनपद खीरी तथा मु0अ)सं0 79/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र ऊदन उर्फ ऊदल निवासी ग्राम ढाकनपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1.नसरुद्दीन पुत्र हारून निवासी ग्राम संसारपुर थाना मैलानी जनपद खीरी
- 2.विशाल पुत्र ऊदन उर्फ ऊदल निवासी ग्राम ढाकनपुर थाना मैलानी जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना मैलानी जनपद खीरी
- 2.का0 सौरभ यादव थाना मैलानी जनपद खीरी

थाना कोतवली सदर पुलिस द्वारा, दिनांक 06.04.2026 को कचहरी परिसर में वकील को गोली मारकर घायल करने की घटना में 03 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा10 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के नेतृत्व में आज दिनांक 08.04.2026 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, दिनांक 06.04.2026 को कचहरी परिसर में वकील को गोली मारकर घायल करने वाले तीन नफर अभियुक्तों 1.जसकरन राज उर्फ जे0के0 राज पुत्र नत्थूलाल 2.शिवमराज ज्ञानी उर्फ विराट राज 3.अनुरूद्ध राज उर्फ बल्लू पुत्रगण जसकरन राज उर्फ जे0के0 राज सर्व निवासी गण मो0 कमलापुर थाना कोतवाली सदर लखीमपुर जनपद खीरी को घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.जसकरन राज उर्फ जे0के0 राज पुत्र नत्थूलाल
- 2.शिवमराज ज्ञानी उर्फ विराट राज
- 3.अनुरूद्ध राज उर्फ बल्लू पुत्रगण जसकरन राज उर्फ जे0के0 राज सर्व निवासी गण मो0 कमलापुर थाना कोतवाली सदर लखीमपुर जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 255/2026 धारा 109(1)/115(2)/351(3)/352/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- 1.प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह
- 2.उ0नि0 धर्मेन्द्र बहादुर सिंह
- 3.का0 कुलदीप कुमार
- 4.का0 गौरव कुमार